बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग 2—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

शुक्रवार, तिथि 12 जनवरी, 1979

विषय-सूची

	पृष्ठ
गैर-सरकारी संकल्प :	
(क) राज्य के 'लॉ ऐंड आर्डर' की स्थिति पर वाद-विवाद (अस्वीकृत)	1—11
(ख) पलामू जिला में वाटर टावर द्वारा जलापूर्त्ति (वापस) ..	12—14
श्री रामानन्द तिवारी के अनशन से उद्भूत स्थिति	14—24
शोक प्रकाश :	
बिहार विधान-सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री विश्वनाथ राय की निर्मम हत्या पर शोकोद्गार।	24—28
दैनिक निबंध	29-30

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किया है, उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिये गये हैं।

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

शुक्रवार, तिथि 12 जनवरी, 1979

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में शुक्रवार, तिथि 12 जनवरी, 1979 को पूर्वाह्न 9 बजे उपाध्यक्ष, श्री राधानन्दन झा के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

गैर-सरकारी संकल्प :

राज्य के लॉ ऐंड ऑर्डर की स्थिति पर वाद-विवाद।

श्री रामदेव राय—उपाध्यक्ष महोदय, बेगुसराय....

उपाध्यक्ष—यह जीरो आवर नहीं है।

श्री रामदेव राय—बेगुसराय में जो निर्मम हत्या हुई है उसके संबंध में मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अम्बिका प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, विधि व्यवस्था पर मेरे दल के श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद सिंह बोलेंगे।

उपाध्यक्ष—आज के लिए भी काफी गैर-सरकारी संकल्प कम पत्र पर है, लेकिन प्राथमिकता मिल रही है उस गैर-सरकारी संकल्प को जो पिछले दिनों से आ रही है और उसी पर वाद-विवाद जारी है। प्राथमिकता तो उसी प्रस्ताव को मिलेगी परन्तु उसके बाद भी अन्य गैर-सरकारी संकल्प है। दो घंटे का समय है। अतएव मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूर्व के प्रस्ताव पर ही दो घंटे का समय समाप्त करें या दूसरे नये संकल्प को भी लिया जाय।

श्री दीना नाथ पांडे—उपाध्यक्ष महोदय, जो वाद-विवाद पहले से जारी है उसको

दस मिनट में समाप्त करवा दिया जाय और बिहार के पिछड़ेपन के संबंध में जो मेरा गैर-सरकारी संकल्प है उसको लिया जाय।

उपाध्यक्ष—आपका गैर-सरकारी संकल्प पहले नहीं लिया जायगा। क्रमबद्ध तरीके से संकल्प लिये जायेंगे।

श्री राम लखन सिंह यादव—जो पहले से वाद-विवाद चला आ रहा है उसपर सरकार का उत्तर होना बाकी है इसलिए इसको कुछ देर में समाप्त कीजिये और दूसरे गैर-सरकारी संकल्प को टेक-अप किया जाय।

उपाध्यक्ष—समय-सीमा तो निर्धारित कर दीजिए। हम ऐसा करते हैं कि साढ़े नौ तक इसपर वाद-विवाद को चलाते हैं।

श्री अम्बिका प्रसाद—ठीक है, साढ़े नौ तक इस वाद-विवाद को चलाइये।

श्री कपिलदेव सिंह—उस दिन माननीय सदस्यों की तरफ से यह प्रश्न उठा था कि इस वाद-विवाद को जारी रखा जाय, लेकिन आज के लिये जिन माननीय सदस्यों का गैर-सरकारी संकल्प है उनलोगों ने कहा कि हमारे संकल्प का क्या होगा। अब तो सदन सर्वोपरि है उसी को हक है, जो करे। मैं भी आपके मार्फत सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस खास विषय पर कई दिन विचार-विमर्श हो चुका है इसलिये इसपर आधा घंटा का समय दिया जाय। अगर माननीय सदस्यों की सहमति हो तब और आधा घंटा के बाद दूसरे संकल्प को ले लिया जाय?

श्री राजकुमार पूर्वे—सरकार का जवाब भी तो होगा।

उपाध्यक्ष—हां, सरकार का जवाब भी होगा। हम ऐसा करते हैं कि 9 बजकर 10 मिनट अभी हो रहा है 9.30 बजे तक सदस्यों को बोलने का इसपर मौका देते हैं और 9.30 से सरकार का उत्तर होगा।

श्री अम्बिका प्रसाद—ठीक है। उस दिन जो वाद-विवाद चल रहा था उसपर हमारे दल के श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद सिंह बोलेंगे।

श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जहांतक लॉ ऐंड ऑर्डर का सवाल है इसकी खास जिम्मेवारी सरकार की नीति से है। जब से यहां जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से गांवों में सामन्तवादी तत्वों का मनोबल काफी ऊंचा हो गया है जिसकी वजह से आज पूरे राज्य में लॉ ऐंड ऑर्डर का प्राब्लेम खड़ा हो गया है। आज बड़े पैमाने पर राज्य में राजनीतिक हत्यायें शुरू हो गयीं हैं और आपने देखा ही है कि धनबाद, बेगुसराय और गया आदि में हर जगह ट्रेड युनियन के लीडर, खेतीहर

मजदूर मोर्चे पर काम करनेवाले लीडर या किसानों के मोर्चे पर काम करनेवाले की आज राजनीतिक हत्यायें हो रही हैं और सरकार भी इस विषय पर चिंता व्यक्त कर रही है कि स्थिति को हम कैसे रोकें। इसको रोकने के लिये आपको आज कठिन-से-कठिन कदम उठाना चाहिए। सिर्फ यह कह देने से कि पिछले बीस-तीस वर्षों तक जिसने शासन किया उसके राज्य में भी यह होता रहा है। इसलिये मैं कहूंगा कि पिछले तीस वर्षों के शासनकाल का गुणगान करना छोड़कर राज्य की कानून-व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को कैसे सुधारा जाय इसीपर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में मैं आपको एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। अभी हाल में 2 नवम्बर, 1978 की रात्रि में घूर ग्राम के श्री अक्लू पासवान की हत्या जमींदारों द्वारा की गई। घटना इस प्रकार है कि इस्लामपुर प्रखंड के बी०डी०ओ० और पुलिस इंसपेक्टर ने उसकी जमीन पर स्कूल की नींव दे दी और उसे जमीन से बेदखल कर दिया गया। उसके कुछ ही दिनों के बाद श्री अक्लू पासवान की हत्या कर दी गयी। इस तरह की हत्या होने पर जहां पर हर जगह पांच-पांच हजार रुपया देते थे वहां श्री अक्लू पासवान के परिवार को एक हजार रुपया भी आजतक नहीं दिया गया है। हिलसा का डी०एस० पी० और पुलिस इंसपेक्टर घूस लेकर केस का फाइनल कर रहा है। आप कहते हैं कि हथियार दे रहे हैं, लेकिन आप उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से 14 नवम्बर, 1978 को एकंगरसराय के जमींदार की बन्दूक पकड़ी गयी और उसका गुंडा भी पकड़ा गया। गुंडे को जेल दिया गया, लेकिन आजतक उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया है। उल्टे उस पुलिस अधिकारी को जिसने उस गुंडे को पकड़ा था उसे तीन ही महीने में बदल दिया गया है। इस तरह से अच्छे और ईमानदार पुलिस अधिकारी को बदल कर आप गरीबों पर जुल्म करा रहे हैं। बिहार के ऐडिश्नल डी०आई०जी० फजल अहमद और ललित विजय सिंह ने जाकर स्वामी हरिनारायणानन्द की अध्यक्षता में एक बैठक की और निर्णय लिया कि बटाईदारों का धान काट लिया जाय। यह तो आपके पुलिस अफसर का कारनामा है। इससे कैसे लोगों की सुरक्षा हो सकती है। एक पुलिस अधिकारी जब बटाईदारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो इससे लॉ ऐंड ऑर्डर कैसे सुधर सकता है। जो अच्छा काम करता है उसको बदल देते हैं। आपने पुलिस को पावर तो बहुत दे दिया है, लेकिन जबतक पुलिस को वेतन और दूसरी-दूसरी सुविधायें नहीं देंगे० तब तक आप लॉ ऐंड आर्डर पर काबू नहीं पा सकेंगे।

श्री रामबहादुर सिंह——उपाध्यक्ष महोदय, बिगड़ती हुई विधि व्यवस्था की चर्चा यहां

हो रही है। बार-बार सदन में सरकार की ओर से आंकड़े पेश किये गये और उन आंकड़ों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले जो घटना हुआ करती थी उनकी तुलना में आज घटनायें कम होती हैं, लेकिन घटनायें होती हैं और मैं चाहूंगा कि इस सरकार को इस ओर चिंता होनी चाहिए।

यह लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार के राज्य में, प्रशासन में, शासन में एक आदमी की भी हत्या होती है तो यह शर्म की बात है। हमारा पूरा विश्वास है कि जो वर्त्तमान सरकार है उसके मन में चिन्ता है, निश्चित तौर से सर

शर्म से झुक जाता है जब कहीं से किसी घटना की सूचना मिलती है—सरकार इसके बारे में उपाय करेगी। और जब अन्य माननीय सदस्यों के मुंह से सुनता हूं विधि व्यवस्था के बारे में चिंता प्रकट करते हुए देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। पूर्वेजी की बातें मैं सुन रहा था, जब वे बोल रहे थे तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जिस व्यक्ति की नीति है "पीठमार मुंह चुम्मा" और वह व्यक्ति विधि-व्यवस्था के बारे में बोले, मुझे आश्चर्य होता है। इसलिये मैं कह रहा हूं कि इनकी पीठ मुंह चुम्मा की नीति है; ये पीठ में छूरा मारेंगे और सामने आकर आपके प्रति हमदर्दी प्रकट करेंगे। बाजितपुर की चर्चा हमारे माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र पासवान कर रहे थे, लेकिन बाजितपुर में कम्यूनिस्ट पार्टी की ऊँची जाति के जो लोग थे उनलोगों ने गरीबों के ऊपर अत्याचार किया था जिसके चलते श्री धनेखु राय, कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, ने इस्तीफा दिया, कम्यूनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया।

श्री राजकुमार पूर्वे—हमारा व्यवस्था का प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय, एक तो इस संबंध में बार-बार रूलिंग दिया गया है कि अगर कोई चार्ज है तो पहले दिखला दें, तब बोलें। यह बात गलत है। श्री धनेखु राय कम्यूनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिये हैं, यह टोटल गलतबयानी हुई है।

श्री रामबहादुर सिंह—अभी भी मैं इस बात को दुहराता हूं कि श्री धनेखु राय कम्युनिस्ट पार्टी के वरीय सदस्य थे, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से लोक-सभा के सदस्य के लिये प्रत्याशी की इच्छा रखते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आज से दो रोज कबल धनबाद कांड की चर्चा हुई और आज मैंने अखबार में देखा कि माननीय सदस्य श्री सूर्यदेव सिंह की गिरफ्तारी की गई।

श्री राजकुमार पूर्वे—अगर माननीय सदस्य श्री राम बहादुर सिंहजी अपनी बात पर स्ट्रीक्ट हैं, इन्होंने जो गलतबयानी की है उसके ऊपर प्रीभिलेज लाने की अनुमति दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय। श्री धनेखु राय ने इस्तीफा दिया है यह बात गलत है। ये गलत कह रहे हैं।

श्री रामबहादुर सिंह—माननीय सदस्य श्री सूर्यदेव सिंह की गिरफ्तारी हुई उस हत्याकांड के क्रम में जो 3 तारीख को धनबाद में हुई थी, वे सदन में उपस्थित थे। श्री सूर्यदेव सिंह का षड्यंत्र है—इस तरह का अभियोग श्री एस० के० राय जो कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और पिछले चुनाव में वे उनके प्रतिद्वंदी थे। श्री सूर्यदेव सिंह के घर से पुआल के नीचे से कोई नम्बर प्लेट मिला है जिसकी छानबीन पुलिस कर रही थी। सारी चीज संदेहात्मक है, नम्बर प्लेट किसी के घर में फेंका जा सकता है। बिल्ला और रंगा ने जिस तरह से चोपड़ा फेमिली के लड़कों की हत्या गाड़ी चुराकर की थी उसी तरह से वह नम्बर प्लेट भी कहीं से लाकर उनके घर में फेंक दिया गया है। इस तरह से उनकी गिरफ्तारी कर, मैं नहीं समझता हूं कि विधि व्यवस्था में कुछ सुधार होगा। ऐसे कांड में जो हत्या होती है, पिछले एक वर्ष में बेगुसराय में जो हत्या